न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 451 सन 2022

अनवान :–

1. महेन्द्रसिह पुत्र मोहब्बत सिह जाति राजपूत साकिन रातुसर तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. तेजपाल सिह पुत्र मोहब्बत सिह जाति राजपूत निवासी रातुसर तहसील नोहर।
2. भगवान सिह पुत्र मोहब्बत सिह जाति राजपूत निवासी रातूसर तहसील नोहर।
3. लाधुसिह पुत्र सुमेरसिह जाति राजपूत निवासी रातूसर तहसील नोहर।
4. सुशीला कंवर पुत्री अन्तर कंवर जाति राजपूत निवासी रातूसर तहसील नोहर।
5. जयवीर सिह पुत्र अन्तर कवंर जाति राजपूत निवासी रातूसर तहसील नोहर।
6. नंदूसिह पुत्र अन्तर कंवर जाति राजपूत निवासी रातूसर तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 05/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 109/105 की कुल 16.1790हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व खाता संख्या 13/13 की कुल 12.7760हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि मृतका कमला पत्नी मोहब्बत सिह भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 3 एव कमलादेवी के नाम से दर्ज है कमलादेवी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एव अन्नत कंवर हुए कमला की पुत्री अन्नत कवर का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 है इसप्रकार कमलादेवी के नाम दर्ज भूमि के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ता 6 है जो कमलादेवी के नाम दर्ज भूमि का अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि पूर्व में मुकनसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रो वादीगण के पिता एवं सुमेरसिह के नाम से दर्ज हुई मुकनसिह ने अपने जीवनकाल में वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया जाकर अपने पुत्रों में बटवारा कर भूमि दी गई थी उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि मुकनसिह के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 जो अन्नत कवर के वारिसान है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपने पूर्वजो के द्वारा किये गये बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके पूर्वजो के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 कमलादेवी के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे पूर्वजो के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 एव कमलादेवी के नाम से दर्ज है कमलादेवी का देहान्त हो चुका जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एव अन्नतकवंर है अन्नतकवंर का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 है इसप्रकार कमलादेवी के नाम दर्ज भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 , 4 ता 6 है जो कमलादेवी के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की उनके पूर्वज मुकनसिह के बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 109/105 की कुल 16.1790हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व खाता संख्या 13/13 की कुल 12.7760हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि मृतका कमला पत्नी मोहब्बत सिह भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 3 एव कमलादेवी के नाम से दर्ज है कमलादेवी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एव अन्नत कंवर हुए कमला की पुत्री अन्नत कवर का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 है इसप्रकार कमलादेवी के नाम दर्ज भूमि के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ता 6 है जो कमलादेवी के नाम दर्ज भूमि का अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि पूर्व में मुकनसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रो वादीगण के पिता एवं सुमेरसिह के नाम से दर्ज हुई मुकनसिह ने अपने जीवनकाल में वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया जाकर अपने पुत्रों में बटवारा कर भूमि दी गई थी उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि मुकनसिह के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 जो अन्नत कवर के वारिसान है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपने पूर्वजो के द्वारा किये गये बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 109/105 की कुल 16.1790हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व खाता संख्या 13/13 की कुल 12.7760हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि मृतका कमला पत्नी मोहब्बत सिह भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 3 एव कमलादेवी के नाम से दर्ज है कमलादेवी वादी की माता है जिसका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एव अन्नत कवंर है अन्नतकवंर का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 है जो कमलादेवी के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात से भी वादी के कथनो की पुष्टि होती है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि में से कमलादेवी के नाम दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी का कथन है कि वादी एव प्रतिवादीगण के पूर्वज मुकनसिह ने अपने जीवनकाल में वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही हे जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उनके पूर्वजो के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 13/13 की कुल 12.7760हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि मृतक कमलादेवी के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा खाता संख्या 109/105 की कुल 16.1790हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज खसरा संख्या 154/2 की 5.0600हैक भूमि में से मिन पूर्व की 1.771हैक भूमि के वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा खाता संख्या 13/13 में प्रतिवादी संख्या 1 का नमा तेजमालसिह दर्ज है के स्थान पर तेजमालसिह उर्फ तेजपालसिह संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. महेन्द्रसिह पुत्र मोहब्बत सिह जाति राजपूत साकिन रातुसार तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1 तेजपाल सिह पुत्र मोहब्बत सिह जाति राजपूत निवासी रातुसर तहसील नोहर।
2. भगवान सिह पुत्र मोहब्बत सिह जाति राजपूत निवासी रातूसर तहसील नोहर।
3. लाधुसिह पुत्र सुगेरसिह जाति राजपूत निवासी रातूसर तहसील नोहर।
4. सुशीला कंवर पुत्री अन्तर कंवर जाति राजपूत निवासी रातूसर तहसील नोहर।
5. जयवीर सिह पुत्र अन्तर कवंर जाति राजपूत निवासी रातूसर तहसील नोहर।
6. नंदूसिह पुत्र अन्तर कंवर जाति राजपूत निवासी रातूसार तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 451 सन 2022 निर्णय दिनांक– 05/07/2022.

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 13/13 की कुल 12.7760हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि मृतक कमलादेवी के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा खाता संख्या 109/105 की कुल 16.1790हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज खसरा संख्या 154/2 की 5.0600हैक भूमि में से मिन पूर्व की 1.771हैक भूमि के वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा खाता संख्या 13/13 में प्रतिवादी संख्या 1 का नमा तेजमालसिह दर्ज है के स्थान पर तेजमालसिह उर्फ तेजपालसिह संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner